भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1003
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)

राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

1003. श्रीमती जसकौर मीनाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भार भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;
(ख) इस योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में संस्वीकृत आबंटित की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के अंतर्गत अभी तक राजस्थान में पंजीकृत लोगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) इस योजना के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों और अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार ने देश में इस योजना का विस्तार किए जाने की योजना बनाई है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विस्तार में तय किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहतः-

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए आर्थिक सहायता का भुगतान कर रही है।

(ख) एवं (ग): 16.07.2021 को, राजस्थान में 6439 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.29 लाख लाभार्थियों को 57.29 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य में योजना के तहत पंजीकृत और लाभान्वित व्यक्तियों का जिला-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (च): योजना के तहत निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना का उद्देश्य कुल 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। 16.07.2021 को, इस योजना के तहत 89070 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 24.89 लाख कर्मचारियों को 1143.40 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।

नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों दोनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

अनुबंध

राजस्थान में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में पूछे गए लोक सभा के दिनांक 26-07-2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 के भाग (क) एवं (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभार्थी प्रतिष्ठानों (प्रति.), कर्मचारियों एवं लाभ की राशि की सूची (16.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	प्रतिष्ठान	लाभार्थियों की संख्या	लाभ राशि (रुपए में)
1	अजमेर	236	4,171	20,832,955
2	अलवर	617	17,015	61,700,841
3	बांसवाड़ा	20	925	2,586,421
4	बारन	25	385	1,707,011
5	बाड़मेर	74	641	3,163,551
6	भरतपुर	98	1,413	9,606,786
7	भीलवाड़ा	362	8,836	38,986,415
8	बीकानेर	230	3,270	20,202,316
9	बूंदी	24	303	1,320,716
10	चितौड़गढ़	146	3,166	16,139,945
11	चुरू	32	414	1,818,249
12	दौसा	40	688	4,212,582
13	धौलपुर	25	424	1,929,878
14	डूंगरपुर	17	667	2,954,750
15	हनुमानगढ़	48	718	3,120,669
16	जयपुर	2,250	48,431	206,522,989
17	जैसलमेर	53	873	3,823,015
18	जालौर	24	208	1,517,430
19	झालावाड	48	1,774	4,925,756
20	झुंझुनूं	62	602	3,584,548
21	जोधपुर	596	8,585	50,012,787
22	करौली	10	116	835,806
23	कोटा	341	5,157	21,255,491
24	नागौर	106	1,474	7,315,018
25	पाली	208	3,378	19,117,344
26	प्रतापगढ़	12	132	593,012
27	राजसमंद	42	515	2,284,645
28	सवाई माधोपुर	16	319	1,468,796
29	सीकर	107	1,719	9,448,661
30	सिरोही	73	1,368	5,920,861
31	श्री गंगानगर	109	2,258	11,362,217
32	टोंक	59	700	3,975,025
33	उदयपुर	329	8,967	28,706,556
	कुल योग	6,439	**129,612**	**572,953,042**